

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 16/2026

राजदेव

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 8 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अजय प्रताप सिंह, विनोद कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय प्रताप सिंह, राज्य-प्रतिवादी(गण) की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री ईशा मित्तल, ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह और विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा को सुना, जिन्होंने विरोधी पक्षकार संख्या 9 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर ग्रहण किया गया है।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य अनुतोष की मांग की है:

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए, न्यायहित में, विरोधी पक्षकारगण, विशेष रूप से विरोधी पक्षकार संख्या 4 से 6 को, ग्राम- कुंडा भैरोपुर, परगना- अल्देमऊ, तहसील- कादीपुर, जिला- सुल्तानपुर में स्थित गाटा संख्या 541 क/ 1.1320 हेक्टेयर भूमि की सुरक्षा के लिए समुचित कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए, जो 'भीता' (तालाब के आसपास स्थित भूमि) के नाम पर दर्ज है और जिस पर निजी प्रतिवादी संख्या 8 और 9 ने निर्माण करते हुए अवैध रूप से अतिक्रमण किया है।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. जनहित याचिका में यह अभिकथन है कि गाटा संख्या 541 क के अंतर्गत 'भीता भूमि' (तालाब के आसपास स्थित भूमि) पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। हालांकि, विरोधी पक्षकार संख्या 9 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा का कथन है कि जनहित याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के परिवार और विरोधी पक्षकार संख्या 9 के बीच पहले से ही शत्रुता है। विरोधी पक्षकार संख्या 9 ने याचिकाकर्ता के पुत्र और भतीजे के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराया है, इसलिए जनहित याचिका दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर की गई है। यह पूछे जाने पर कि यदि ऐसा है तो विरोधी पक्षकार संख्या 9 ग्राम सभा के नियंत्रण वाली भीता भूमि पर अतिक्रमण किस प्रकार कर रही है, श्री मिश्रा ने यह बताया कि उनके मुवक्किल आबादी भूमि का उपयोग कर रहे हैं, न कि भीता भूमि का।

4. हमें सूचित किया गया है कि सहायक कलेक्टर द्वारा विरोधी पक्षकार संख्या 8 और 9 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

5. उपरोक्त के दृष्टिगत, हमें इस मामले में आगे कार्यवाही का कोई कारण नहीं दिखता, बशर्ते कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही को विधि के अनुसार, यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जा सके।

6. विरोधी पक्षकार संख्या 8 और 9 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में, बचाव में इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करने की छूट है, जैसा कि विधि द्वारा अनुमत हो।

7. तदनुसार याचिका का निस्तारण किया जाता है।

8. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में लंबित बिन्दुओं के संबंध में आरोप और प्रत्यारोप के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

14 जनवरी, 2026

प्रवीण

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)